lakh family type and 450 community, institutional and night-soil based biogas plants fixed for the entire Eight Five Year Plan period (1992-97), already over 7.85 lakh family type and 877 community, institutional and night-soil based biogas plants have been set up in different States and Union Territories (UTs) during the first four years i.e. (1992-96). A target of setting upp of 1.80 lakh family type and 250 community, institutional and night-soil based biogas plans has been proposed for the current financial year 1996-97.

(b) to (d) While several States/UTs have been constantly achieving, rather exceeding their targets only some States/UTs have slow progress. During 1995-96, the States of Assam, Bihar, Gujarat, Goa, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Meghalaya, Nagaland, Punjab, Tamil Nadu and West Bengal and U.T. of Chandigarh and Pondicherry could not achieve their targets for setting up of family type biogas plants due to reasons varying from State to State, such as lach of additional financial and organizational support under State Plan Sector; inadequate involvement of non-governmental organizations and entrepreneurs; difficulty in getting loans from banks, shortage of trained masons and inadequate maintenance servicing facilities. These States/UTs are also taking steps to improve the progress.

जल की आपूर्ति हेतु राष्ट्रीय नीति

455. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषकर देश के पेय जल के अभाव की समस्या वाले राज्यों/क्षेत्रों में जलपूर्ति हेतु कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार सभी नागरिकों हेतु पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कर रही है और पेयजल की समस्या का कब तक समाधान कर दिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा): (क) केन्द्र सरकार ने राज्यों के परामर्श से पेयजल की कमी की समस्या से प्रभावित कवर न की गई और आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए नीति तैयार की है।

(ख) 1.4.96 तक, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 75,783 कवर न की गई और 3,31,646 आंशिक रूप से कवर की गई बसावटें थीं। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से बाकी बची कवर न की गई और आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों को कवर करने और निधियों की कुल मांग, राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत संसाधनों की उपलब्धता और केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्तिकार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए ठोस कार्य योजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया गया है। 1997-98 तक सभी कवर न की गई और आंशिक रूप से कवर की गई (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 10 लीटर से कम पानी प्राप्त करने वाली) बसावटों को पेयजल उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) शेष आंशिक रूप से कवर की गई सभी बसावटों को सन 2000 ई० तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा। पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों में पहले से ही की गई आवश्यक आयोजना, योजनाओं को बनाना, राज्यों द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी योजनाओं को तकनीकी और प्रशासनिक अनुमोदन तथा फील्ड में कार्यान्वयन, प्रगति की निगरानी तथा राज्यों के साथ बैठकों में समय समय पर समीक्षा करना शामिल है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक निधियां जुटायी जायेंगी।

Survey to Identify Barren Land in Karnataka

456. **SHRI JANARDHANA POOJARY:** Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state: